

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....

सं०सं०-03/उ०नि०/विविध(वि०स०कक्ष)-50/2016

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय तल पर अवस्थित विभागीय सभागार में **Audio-Visual System** को पुर्नअधिष्ठापन हेतु ₹50,000 (पचास हजार रुपये) मात्र के शुल्क व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय तल पर अवस्थित विभागीय सभागार में Audio-Visual System को पुर्नअधिष्ठापन हेतु ₹50,000 (पचास हजार रुपये) मात्र के शुल्क व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(2) विभागीय सभागार में Audio-Visual System का अधिष्ठापन पूर्व में किया गया था। परन्तु विभागीय सभागार के छत में अत्यधिक जल का रिसाव होने के कारण छत एवं उसके फाल्स सिलिंग की मरम्मत के क्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से Audio-Visual System को खोलकर अलग कर दिया गया था। जिसका पुर्नअधिष्ठापन कराना विभागीय कार्यार्थ अत्यावश्यक है। जिसको ध्यान में रखते हुये पुनः Audio-Visual System का पुर्नअधिष्ठापन का कार्य सम्पन्न किया गया है। दिनांक-09.10.2017 को सम्पन्न क्रय समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में मेसर्स ग्राफिक्स ट्रेड्स प्रा० लि०, सी०-15बी०, एस० के पुरी, बसावन पार्क लेन, बोरिंग रोड, पटना 800001 का न्यूनतम दर ₹50,000 (पचास हजार रुपये) मात्र पाया गया। उक्त Audio-Visual System का पुर्नअधिष्ठापन करने हेतु उद्योग निदेशालय के पत्रांक-3326, दिनांक-01.11.2017 द्वारा अनुरोध किया गया। पुर्नअधिष्ठापन के कार्य का विभागीय सत्यापन भी प्राप्त हैं।

(3) उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 0163.52.02 मशीने एवं उपस्कर-अन्य मद में उपबंधित/आवंटित राशि से विकलित होगा। जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

(4) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म BTC-25 पर करेंगे। सहायक निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना उक्त राशि को निफ्ट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मेसर्स ग्राफिक्स ट्रेड्स प्रा० लि०, सी०-15बी०, एस० के पुरी, बसावन पार्क लेन, बोरिंग रोड, पटना 800001 को उपलब्ध कराएंगे।

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेंगे।

(6) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-03/उ०नि०/विविध(वि०स०कक्ष)-50/2016 के पृष्ठ-58/टि० पर दिनांक-20.10.2017 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या-6556/IDC दिनांक-20.10.2017 है।

(7) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—03/उ०नि०/विविध(वि०स०कक्ष)—50/2016 के पृष्ठ-66/टि० पर दिनांक-28.12.17 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या 160/OSD, दिनांक 21.12.17 है।

(8) वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि०(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

03/उ०नि०/विविध(वि०स०कक्ष)—50/2016

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

03/उ०नि०/विविध(वि०स०कक्ष)—50/2016

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 10.1.18

ज्ञापांक 161...../

03/उ०नि०/विविध(वि०स०कक्ष)—50/2016

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/मेसर्स ग्राफिक्स ट्रेड्स प्रा० लि०, सी०-15बी०, एस० के पुरी, बसावन पार्क लेन, बोरिंग रोड, पटना 800001/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०)/प्रशाखा-1 योजना (स०) एवं प्रशाखा-04, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

10.1.18